न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 136/2024

प्रकरण दर्ज तिथि :— 10.10.2024

जीसीएमएस नम्बर :— 2024/264

श्री ईश्वर गौशाला संस्था करमावास मालियान संरक्षक ईश्वरगिरी पुत्र संग्रामगिरी जाति ब्राहम्ण निवासी निम्बेडा कलां जरिये कोषाध्यक्ष रोम दाधीच पुत्र श्री श्यामलाल उम्र—वयस्क, जाति ब्राहम्ण निवारी करमावास मालियान
तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.

वादी

बनाम

1 अकाराम पुत्र श्री दीपाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
2. अन्जु पुत्री श्री किशनाराम, उम्र—वयरक, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
3. अम्बाराम पुत्र श्री हीराराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
4. नाबालिग अर्जुन पुत्र श्री बाबुलाल, जरिये संरक्षक सरपरस्त माता भवराई देवी पत्नि श्री बाबुलाल, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
5. ओमप्रकाश पुत्र श्री अमराराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
6. अशोककुमार पुत्र श्री किशनाराम, उम्र—वयरक, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
7. कालुराम पुत्र श्री लादुराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
8. कालुराम पुत्र श्री दानाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
9. खंगारराम पुत्र श्री दानाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
10. खुमाराम पुत्र श्री दानाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
11. गंगा पत्नि श्री दानाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
12. चन्दाराम पुत्र श्री हीराराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
13. टिंकु पुत्र श्री किशनाराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
14. दुर्गाराम पुत्र श्री लादु, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
15. दानाराम पुत्र श्री गोमराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
16. धर्माराम पुत्र श्री अमराराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
17. नाथुराम पुत्र श्री लादुराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
18. पुखाराम पुत्र श्री लादुराम, उम्र—वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान
19. नाबालिग प्रकाश पुत्र श्री बाबुलाल, जरिये संरक्षक सरपरस्त माता भवराई देवी पत्नि श्री बाबुलाल, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
20. पारी पत्नि श्री अमराराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
21. भंवरलाल पुत्र श्री दीपाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
22. भवराई पत्नि श्री बाबुलाल, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
23. मंगलाराम पुत्र श्री पुनाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
24. मनीष पुत्र श्री किशनाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
25. माडी पत्नि श्री किशनाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
26. मोतीलाल पुत्र श्री पुनाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
27. नाबालिग रेखा पुत्री श्री बाबुलाल, जरिये संरक्षक सरपरस्त माता भवराई देवी पत्नि श्री बाबुलाल, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
28. रतनलाल पुत्र श्री पुनाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
29. रमेशकुमार पुत्र श्री दानाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
30. लिखमाराम पुत्र श्री हरजीराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान
31. लीला पुत्री श्री किशनाराम, उम्र—वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
32. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड् होल्डर तहसीलदार, रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी

2 श्री भूपैन्द्र सैन प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या (02 से 07,13,14,16,19 से 26,28,29,31) एवं शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित

गुलाब सिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निर्णय दिनांकः 18.12.2024

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा करमावास मालियान पटवार हल्का मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र देवली कलां तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2075–2078 के खाता सं. 53 खसरा सं. 89 रक्बा 15.7503 हैक्टैयर किस्म चाही प्रथम मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। उक्त भुमि वादी की खरीद शुदा भुमि है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2075–2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रति पेश की जा रही हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वाद पत्र के पद 1 में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात खाता सं. 53 मे वादी का 1/48 वा हिस्सा बनता है उस हिस्से की वादी खातेदार काश्तकार रेकर्ड दर्ज है, जो वादी ने खरीद कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। तथा खरीद दिंनाक से मौके पर वादी का कब्जा है एवं मौके पर गौशाला बनी हुई है। एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 31 तक का हिस्सा दर्ज रेकर्ड जमावन्दी मे वर्णित अनुसार है। वादी खरीद दिंनाक से आज दिंनाक तक मौके पर कब्जे अनुसार गौशाल बनी हुई है एवं मौके पर वादी का कब्जा बिना किसी बाधा के चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादीगण की सम्पुर्ण भुमि एक खाते मे शामलाती दर्ज है व नक्शा में भी विवादित खसरा की भुमि खसरा अनुसार एक जोत दर्शाई गयी है। मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। विवादित भुमि राजस्व रेकर्ड व राजस्व नक्शे मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण उसका फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 से 32 की वादी की भुमि पर कब्जा करने कि नियत रखते है। वादी एवं प्रतिवादी के बीच कब्जे को लेकर एवं माठ को लेकर आए–दिन झगडा–फसाद होते रहते हैं। इसलिये वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 32 के मध्य आपसी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। वर्तमान मे समस्त खातेदारों का राजस्वे रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। वादी के कब्जे की भुमि को प्रतिवादी से बचाने के लिए एंव उनसे बॅटवाडा करवाने हेतु उक्त वादपत्र पेश किया जा रहा है। वादी ने खरीद के बाद कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से 31 से निवेदन किया कि वादपत्र के पेरा नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी मे वादी के हिस्से पर कब्जा नही करे एवं विवादित भुमि को अपने–अपने हिस्से अनुसार बॅटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादी सं. 1 से 31 ने वादी के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर उक्त आराजी भूमि से वादी को वेदखल करने पर आमादा रहते है। वादी के बार–बार बॅटवारा करने की बात कहने पर प्रतिवादीगण ने बॅटवारा करने हेतु मना कर दिया। इसलिए वादी को भारी समस्या का सामना करना पड रहा है। जिस कारण उक्त वाद तकास्मा का पेश किया जा रहा है। वादी ने प्रतिवादी व उनके वारिशानों से विवाद होने पर बार बार अपने कब्जे अनुसार बटवाडा करने का निवेदन किया एवं वादी की भुमि मे दखलअदांजी नही करने का निवेदन किया जो प्रतिवादीगण व उनके वारिशानों ने बटवाडा करने से मना कर दिया। वादी ने पुनः निवेदन कर प्रार्थना की कि उक्त संयुक्त वादग्रस्त

18/12/24
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

आराजी कृषि भूमि का बँटवारा मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाकर खाते अलग से दर्ज करवाने अपने हिस्से के खाते व हिस्से एवं कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेश मे तरमीम रखने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बन्टवाडा करवाने से दिनाक 13.09.2024 को मना कर दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है वादी अपने कब्जे अनुसार विवादित भूमि का तकास्मा करवाने की अधिकारी है इसलिए दावा बटवाडा तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण पेश हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण व उनके वारिशान को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आर्फ प्रोसिडिंग्स होगी, जिससे वादी को भारी आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व कब्जे के अनुसार तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार करवाने के लिये बटँवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रही है। बिनायदावा दिनाक 13.09.2024 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण व उनके वारिशानो को वादी के हिस्से भुमि का कब्जे अनुसार विवादित भूमि का तकास्मा करने का कहने व प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम करमावास मालियान पटवार हल्का मोहरा कलां मे पैदा हुआ जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है। उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादी का वाद उनके हक में प्रथमदृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादी के पक्ष में है । जिस अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण 1 से 31 को उपरोक्त वादपत्र के पैरा सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात खाता सं. 53 में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी सं. 32 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से 2 माह पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादी के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादी की आराजियात से बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80 (2) जाब्ता दीवानी का वाद पत्र पेश कर वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। वादी की उपरोक्त वादग्रस्त आराजियात ग्राम करमावास मालियान पटवार हल्का मोहरा कलां, तहसील रायपुर में स्थित होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार, क्षेत्राधिकार मे है। वादपत्र के साथ द्वितिय प्रति, शपथपत्र कि प्रति पेश है जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग माना जावें। मालियत दावा बगर्ज कोर्ट फीस बाबत् तकास्मा आराजी व बाबत् स्थाई निशेधाज्ञा रूपये 200/–,200/– की कायम् की जाती है जिस पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

मुकर्र सुदा फिक्स कोर्ट फीस स्टाम्प 4/– बतौर रशुम के वाद के साथ पेश है। वादी एक संस्था है। संस्था होने से उनके किसी पदाधिकारी द्वारा वादपत्र पेश किया जाना है इसलिए श्री ईश्वर गौशाला संस्था करमावास मालियान के द्वारा प्रस्ताव लिया जाकर कोषाध्यक्ष को वादपत्र पेश करने हेतु नियुक्त किया है इसलिए कोषाध्यक्ष द्वारा यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। डिक्री तकास्मा वादी बहक प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय से जारी कि जावे कि सरहद मौजा करमावास मालियान पटवार हल्का मोहरा कलां, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र देवली कलां तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2075–2078 के खाता सं. 53 खसरा सं. 89 रक्बा 15.7503 हैक्टैयर किस्म चाही प्रथम मे वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कृषि भुमि आई हुई है। उक्त भुमि वादी की खरीद शुदा भुमि है। विवादित वाद पत्र के पद 1 में वर्णीत वादग्रस्त आराजीयात खाता सं. 53 मे वादी का 1/48 वा हिस्सा बनता है। उपरौक्त विवादित भुमि मौके पर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार बटी हुई है। विवादित भुमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकर्ड अनुसार कब्जा काश्त है। परन्तु विवादित भुमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे बटी हुई नही होने से आये दिन विवाद कि स्थिति बनी रहती है इसलिये वादी के हिस्से अनुसार भूमि की नेखमबन्दी व पत्थर गढढी करवायी जावे, व मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी को अपने दर्ज हिस्से का अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर राजस्व नक्शे मे अलग दर्शाई जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा लगान बांटा अलग किया जावें। वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादी व उनके वारिशानों को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादी के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काश्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोघ उत्पन्न होते हो।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01,08से12,15,17,18,27,30, की सम्मन तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित इसीलिए इन प्रतिवादीगण, अवसर देने के बावजूद भी अनुपरिथत होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 07,13,14,16,19से26,28,29,31 की ओर से श्री भूपैन्द्र सैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया हैं जो संलग्न किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर जबाव नहीं देना चाहते। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नहीं करना चाहते। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस

गुलाबसिंह
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा किया जावें। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की हैं।

प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2024/1934 दिनांक 06.11.2024 द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं। अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा करमावास मालियान पटवार हल्का मोहराकलां के खसरा नम्बर 89 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाबसिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाबसिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

वईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

श्री ईश्वर गौशाला संस्था करमावास मालियान संरक्षक ईश्वरगिरी पुत्र संग्रामगिरी जाति ब्राहम्ण निवासी निम्बेडा कलां जरिये कोषाध्यक्ष सोम दाधीच पुत्र श्री श्यामलाल उम्र–वयस्क, जाति ब्राहम्ण निवासी करमावास मालियान तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.

वादी

बनाम

1 अकाराम पुत्र श्री दीपाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

2. अन्जु पुत्री श्री किशनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

3. अम्बाराम पुत्र श्री हीराराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

4. नावालिग अर्जुन पुत्र श्री वावुलाल, जरिये संरक्षक सरपरस्त माता भवराई देवी पत्नि श्री वावुलाल, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

5. ओमप्रकाश पुत्र श्री अमराराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

6. अशोककुमार पुत्र श्री किशनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

7. कालुराम पुत्र श्री लादुराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

8. कालुराम पुत्र श्री दानाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

9. खंगारराम पुत्र श्री दानाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

10. खुमाराम पुत्र श्री दानाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

11. गंगा पत्नि श्री दानाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

12. चन्दाराम पुत्र श्री हीराराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

13. टिंकु पुत्र श्री किशनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

14. दुर्गाराम पुत्र श्री लादु, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

15. दानाराम पुत्र श्री गोमराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

16. धर्माराम पुत्र श्री अमराराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

17. नाथुराम पुत्र श्री लादुराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

18. पुखाराम पुत्र श्री लादुराम, उम्र–वयस्क, जाति सीरवी, निवासी करमावास मालियान

19. नावालिग प्रकाश पुत्र श्री वावुलाल, जरिये संरक्षक सरपरस्त माता भवराई देवी पत्नि श्री वावुलाल, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

20. पारी पत्नि श्री अमराराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

21. भंवरलाल पुत्र श्री दीपाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

22. भवराई पत्नि श्री वावुलाल, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

23. मंगलाराम पुत्र श्री पुनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

24. मनीष पुत्र श्री किशनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

25. माडी पत्नि श्री किशनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

26. मोतीलाल पुत्र श्री पुनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

27. नावालिग रेखा पुत्री श्री वावुलाल, जरिये संरक्षक सरपरस्त माता भवराई देवी पत्नि श्री वावुलाल, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

28. रतनलाल पुत्र श्री पुनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

29. रमेशकुमार पुत्र श्री दानाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

30. लिखमाराम पुत्र श्री हरजीराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान

31. लीला पुत्री श्री किशनाराम, उम्र–वयस्क, जाति सिरवी निवासी करमावास मालियान तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.

32. राजस्थान सरकार वजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, रायपुर, जिला ब्यावर (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूवरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी मिनजानिब मुदईव हाजरी श्री भागीरथ तैली प्रतिवादी अधिवक्ता श्री भूपैन्द्र सैन प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या (02 से 07,13,14,16,19 से 26,28,29,31) वं शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा करमावास मालियान पटवार हल्का मोहराकलां के खसरा नम्बर 89 में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताविक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से

गुलाबसिंह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

रायपुर (ब्यावर)

प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल यावी तक ....को अदा करे।

बरिब्ता मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.12.2024 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान		02	00
मीजान		12	00				

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।